



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक पंचायत सहायक को 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 मार्च। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय टोंक इकाई द्वारा आज सोमवार को टोंक में कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत हमीरपुर, टोंक के पंचायत सहायक प्रमोद कुमार खटीक को 4 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि मुख्यालय की टोंक इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि मकान का पट्टा जारी करने की एवज में प्रमोद कुमार खटीक पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत हमीरपुर, टोंक द्वारा 6 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा टोंक में ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रमोद कुमार खटीक पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत हमीरपुर, टोंक को परिवादी से 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।